

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)  
बइजलास-श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 08/2021

वादीगण-

1. रामनारायण पुत्र रामनिवास
  2. भवंरलाल पुत्र रामनिवास
- जाति- जाट, निवासी-रामसर, तहसील-जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रामनिवास पुत्र चुनाराम
  2. सुखाराम पुत्र रामनिवास
  3. इन्द्रा पुत्री रामनिवास
- जाति-जाट, निवासी-रामसर, तहसील-जायल (नागौर)
4. तहसीलदार, जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 4 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - मौजा अजबपुरा के ख.न. 202/13 रकबा 5.1800 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 3 का मुददाविया खेताय में कोई हक बंट नहीं रखने से पुश्तैनी भूमि में हकत्याग द्वारा अन्तरण होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा कराई जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

तीज - मुबलिंग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/12/2022 को जारी की गई।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

अनवान-रामनारायण बनाम रामनिवास  
राजस्व वाद संख्या : 08/2021  
जीसीएमएस न. 2021/11

	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
मुदायराह			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

ट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये लाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल